

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / गुप-2 / 2018

जयपुर, दिनांक : 14.11.2018

आदेश


मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 2543/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 की पालना में डा. योगिता आसिया, चिकित्सा अधिकारी को पूर्व पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी, पाली में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली / नागौर
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी / रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव